प्रेस ब्रीफ

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त) 2017-18

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अपने प्रतिवेदन राज्य विधानमण्डल के पटल पर रखने हेतु राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। तदनुसार, वर्ष 2017-18 के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त)-राजस्थान सरकार विधानमण्डल के पटल पर दिनांक 17 जुलाई 2019 को रखा जा चुका है। प्रक्रियानुसार, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को जन लेखा समिति को सौंप दिया गया माना जाता है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के कुछ मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं:

राज्य सरकार का वित्त प्रबन्ध

राज्य सरकार ने राजकोषीय घाटे को एफआरबीएम अधिनियम में लक्षित 3 प्रतिशत के मुकाबले 3.02 प्रतिशत हासिल किया तथा वर्ष 2017-18 के अंत में राजकोषीय घाटा ₹ 25,342 करोड़ था। वर्ष 2017-18 के दोरान राज्य में राजस्व घाटा निरंतर जारी था जो कि ₹ 18,535 करोड़ रहा।

वर्ष 2017-18 के अंत तक राज्य की बकाया राजकोषीय देयतायें वर्ष 2013-14 के ₹ 1,29,910 करोड़ से बढ़कर ₹ 2,81,182 करोड़ हो गई थी, जो कि वर्ष 2016-17 के मुकाबले दस प्रतिशत बढ़ी।

(अनुच्छेद 1.2.1, एवं 1.10.2)

राज्य की राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2013-14 के ₹ 74,471 करोड़ से क्रमिक रूप से बढ़कर वर्ष 2017-18 में ₹ 1,27,307 करोड़ हो गई यह गत वर्ष (8.7 प्रतिशत) की तुलना में ₹ 18,281 करोड़ (16.8 प्रतिशत) बढ़ी। यद्यपि यह बजट प्रावधानों तथा संशोधित प्रावधानों से क्रमशः ₹ 2,855 करोड़ तथा ₹ 7,386 करोड़ कम थी।

राज्य का राजस्व व्यय वर्ष 2013-14 के ₹ 75,510 करोड से तेजी से बढ़कर वर्ष 2017-18 में ₹ 1,45,842 करोड़ हो गया। राजस्व व्यय गत वर्ष की तुलना में ₹ 18,702 करोड़ (14.7 प्रतिशत) बढ़ा। यद्यपि यह संशोधित अनुमानों से ₹ 9,017 करोड़ कम था जबकि बजट अनुमानों से ₹ 2,152 करोड़ अधिक था।

(अनुच्छेद 1.2.2)

चार चयनित जेण्डर बजटिंग योजनाओं में से एक में शून्य व्यय तथा शेष तीन में व्यय 24 से 67 प्रतिशत के बीच रहा जो राज्य द्वारा जेण्डर बजटिंग के क्रियान्वयन के बेहतर अनुश्रवण की आवश्यकता को दर्शाता है।

(अनुच्छेद 1.2.3)

कुल राजस्व व्यय में वेतन तथा भत्तों पर व्यय का अंश वर्ष 2016-17 के 26.30 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 29.50 प्रतिशत हो गया। आगे, कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात वर्ष 2016-17 के 15.83 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 16.41 प्रतिशत हो गया।

जबकि, सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में परिचालन तथा अनुरक्षण का अंश वर्ष 2016-17 में 1.19 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2017-18 में 0.91 प्रतिशत हो गया।

(अनुच्छेद 1.8.2)

247 अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों में व्यय राशि (₹ 20,175.99 करोड़) राज्य के संचयी पूंजीगत व्यय (₹ 1,68,490.76 करोड़) का 12 प्रतिशत थी। 39 परियोजनाओं में कुल लागत वृद्धि ₹ 7,992 करोड़ थी। निर्धारित समय में परियोजना पूर्ण नहीं होने के कारण, समाज को अपेक्षित लाभ मिलने में विलम्ब हुआ तथा गत वर्षों में परियोजनाओं की लागत में भी वृद्धि हुई।

(अनुच्छेद 1.9.2)

राज्य सरकार के वित्त लेखों के अनुसार राज्य सरकार के कुल निवेश में 49 कार्यशील सरकारी कम्पनियों में ₹ 44,281.63 करोड़ का निवेश भी सम्मिलित है, जिनमें से केवल आठ कम्पनियों ने ₹ 573.71 करोड़ के निवेश के समक्ष कुल ₹ 64.46 करोड़ का लाभांश घोषित किया। पाँच बिजली कम्पनियों में राज्य सरकार का निवेश ₹ 41,442.76 करोड़ था जो कि राज्य सरकार के कुल निवेश का 91 प्रतिशत था।

(अनुच्छेद 1.9.3)

31 मार्च 2018 को ऋण तथा प्रेषण (डीडीआर) शीर्षों के अन्तर्गत 64 प्रकरणों में राशि ₹ 1,094.90 करोड़ के प्रतिकूल शेष थे जिनमें से ₹ 1,031.52 करोड़ "बीमा तथा पेंशन निधि" के अन्तर्गत नगरपालिका/नगर परिषद के कर्मचारियों की पेंशन निधी के थे।

(अनुच्छेद 1.9.6)

वित्तीय प्रबन्धन तथा बजटरी नियंत्रण

वर्ष 2017-18 के दौरान कुल व्यय (₹ 1,79,473 करोड़) का 42.37 प्रतिशत (₹ 76,035 करोड़) चालू वित्त वर्ष की अन्तिम तिमाही में किया गया। जबकि, अन्तिम तिमाही में कुल प्राप्तियों (₹ 1,71,015 करोड़) का केवल 37.68 प्रतिशत (₹ 64,442 करोड़) प्राप्त हुआ। यह व्यय विगत वर्ष 2016-17 की अंतिम तिमाही के व्यय से 29.08 प्रतिशत (₹ 47,141 करोड़) से बढ़ा। इस प्रकार, विभागों द्वारा

बड़ी मात्रा में व्यय वर्ष की अंतिम तिमाही/माह में किया गया जो व्यय पर अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण की घोतक थी।

(अनुच्छेद 2.3.2)

वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 2,00,077.50 करोड़ के कुल अनुदानों तथा विनियोगों के समक्ष ₹ 1,84,087.31 करोड़ का व्यय किया गया जिससे ₹ 15,990.19 करोड़ की बचत हुई। 28 प्रकरणों में ₹ 3,160.89 करोड़ के पूरक प्रावधान किये गये, जो अनावश्यक सिद्ध हुए।

विभागों द्वारा इन निधियों का उपयोग अन्य उद्धेश्यों हेतु करने का अवसर नही छोड़ते हुए ₹ 15,799.52 करोड़ वित्त वर्ष के अन्तिम कार्यदिवस को अभ्यर्पित किये गये। 15 प्रकरणों (12 अनुदानों) में, जहां बचतें ₹ 8,782.39 करोड़ थी, राशि ₹ 302.80 करोड़ अभ्यर्पित नहीं की गई। आगे, 80 प्रकरणों में ₹ 5940 करोड़ के एक मुश्त प्रावधान किये गये, जिसमें से ₹ 4,707.59 करोड़ (79.3 प्रतिशत) अप्रयुक्त रहे।

नौ प्रकरणों जिनमें 8 अनुदान सम्मिलित थे, में गत 3 वर्षो के दौरान निरन्तर बचतें (₹ 100 करोड़ तथा अधिक) 12.5 प्रतिशत से 59.7 प्रतिशत के मध्य रही। गत वर्षो में निरन्तर बचतें, राज्य सरकार द्वारा निधियों के अधिक निर्धारण की धोतक थी।

(अनुच्छेद 2.2, 2.3.4, 2.3.5 तथा 2.3.9)

30 जून 2018 को राशि ₹ 429.19 करोड़ के 134 सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के विरूद्ध विस्तृत आकस्मिक बिल लम्बित थे।

(अनुच्छेद 2.5)

वित्तीय मामलों की रिपोर्टिंग

30 जून 2018 को, वर्ष 2004-17 के दौरान प्रदत्त अनुदानों में से ₹ 2.34 करोड़ के 62 उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया थे।

(अनुच्छेद 3.1)

दस उपक्रमों में उनके लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया उस वित्तीय वर्ष तक जिनमें राज्य सरकार द्वारा राशि ₹ 16,565.70 करोड़ का निवेश किया गया था। उनमें से लगातार पाँच वर्षो से हानि में चल रहे आठ उपक्रमों की संचित हानि ₹ 12,211.94 करोड़ रही।

(अनुच्छेद 3.3)

सरकारी धन के दुर्विनियोजन, चोरी तथा हानि के राशि ₹ 67.73 करोड़ के 872 लम्बित मामलों में से राशि ₹ 32 करोड़ के 320 मामलों में विभागीय तथा आपराधिक जांच प्रतिक्षित थी। आगे, राशि ₹ 30.80 करोड़ के 491 प्रकरणों में वसूली/अपलेखन के आदेश भी प्रतिक्षित थे।

(अनुच्छेद 3.4)

वर्ष 2017-18 के दौरान, निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित/जमा की गई कुल राशि ₹ 30,295.29 करोड़ में से राशि ₹ 4,035.89 करोड़ (13.32 प्रतिशत) केवल मार्च 2018 में हस्तान्तरित की गई। कुल हस्तान्तरित की गई राशि में से 1666 निजी निक्षेप खातों में ₹ 9538.57 करोड़ के अव्ययित शेष थे। 31 मार्च 2018 को 20 निजी निक्षेप खाते जिनमें राशि ₹ 1.98 करोड़ शेष थी गत पाँच वर्षों (2013-18) से अप्रचलित थे।

(अनुच्छेद 3.5)

राजस्थान सरकार के वित्त लेखों 2017-18 से प्रकट हुआ कि वर्ष 2017-18 के दौरान किये गये कुल व्यय (राजस्व तथा पूंजीगत) का 6.56 प्रतिशत राशि ₹ 10,927.16 करोड़ को लघु शीर्ष "800- अन्य व्यय" के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था।

(अनुच्छेद 3.6)